न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2023-19RAAJodhpur2023-15RTA225 Multanaram ors Vs Kesharam etc

1. मुल्तानाराम पुत्र श्री चुनाराम
2. झुम्मर राम पुत्र श्री चुनाराम
3. ओमाराम पुत्र श्री चुनाराम
4. नैनाराम पुत्र श्री चुनाराम
5. फरसाराम पुत्र श्री चुनाराम
6. सोभा पत्नि श्री चुनाराम
7. कब्बु पुत्री श्री चुनाराम

   सभी जातियान मेघवाल, निवासीगण ग्राम मांडीयाई खुर्द, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. केसाराम पुत्र श्री दल्लाराम
02. मुलाराम पुत्र श्री दल्लाराम

    जातियान् मेघवाल, निवासी ग्राम मांडियाई खुर्द तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।
03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तींवरी, जिला जोधपुर ।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेष दिनांक 22 अगस्त 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2022 केसाराम व अन्य बनाम चुनाराम के कायम मुकाम इत्यादि

उपस्थित–

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री अर्जुनसिंह चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक व दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 01 मई 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2022 केसाराम व अन्य बनाम चुनाराम के कायम मुकाम इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 22 अगस्त 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत

हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 16 जनवरी 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 70 ग्राम मांडीयाई खुर्द तहसील तिंवरी में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 70/5 में सें 20 फुट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थीगण/रेस्पो. का प्रार्थना पत्र अपीलाधीन आदेष दिनांक 22 अगस्त 2022 के जरिये स्वीकार कर लिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने अपनी में तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये बिना अपीलाधीन आदेष आनन फानन में पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की भूमि में से तो रास्ता दे दिया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त रास्ता किस सार्वजनिक रास्ते से मिलता है। विचारण न्यायालय द्वारा जिस ए से बी स्थान पर रास्ता घोषित किया गया है, यह भूमि अपीलार्थी के पिता व अन्य सह खातेदारों द्वारा खसरा नं0 70/5 की भूमि का बंटवारा करते समय सामलाती रूप से अपने नाम सामलाती रूप से दर्ज की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इस सामलाती जमीन को रास्ता मानने में भंयकर भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय में पत्रावली मौका रिपोर्ट हेतु मुकर्रर थी। दिनांक 22.08.2022 को ही तथा–कथित मौका रिपोर्ट पेश करना बताते हुए अपीलाधीन आदेष पारित कर दिया गया, जबकि आर आई व पटवारी ने यह रिपोर्ट किस तारीख को तैयार की, उसका इन्द्राज मौका रिपोर्ट में नहीं है तथा उक्त मौका रिपोर्ट पक्षकारान् की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। जिस दिन मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई, उसी दिन पत्रावली में आदेश पारीत कर दिया गया। यह उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने लम्बे समय तक पत्रावली अपने पास रखी

तथा अपने स्थानांतरण से पहले पीछे की तारीखों में इस पत्रावली में आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखने योग्य नहीं है।

दौराने बहस वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स द्वारा खसरा नंबर 70/10 की भूमि में सें रास्ता प्राप्त कर लिया है। उन्हें अब किसी रास्ते की आवष्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम सारहीन हो चुका है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दिनांक 11.01.2023 को पटवारी श्री राजेश विश्नोई ने आकर जब अपीलान्ट्स को बताया कि आपकी जमीन के मुआवजे के बदले डी.डी. या चैक आए हुए है, आप तहसील कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है तो अपीलांट्स को आश्चर्य हुआ कि जब कोई अवाप्ति ही नहीं हुई है तो चैक किस हैसियत से तहसील कार्यालय में पड़े है। तब उन्होने दिनांक 12.01.2023 को तहसील कार्यालय में पता करवाया तो पता चला किं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेष पारित कर दिया गया। तब अपीलांट्स ने तुरंत ही उपखण्ड न्यायालय में नकल का आवेदन कर उसी दिन नकल प्राप्त की तथा जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया किं अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेष दिनांक 22 अगस्त 2022 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों में सहमति जताते हुए खसरा नंबर 70/10 में से रास्ता प्राप्त होने के कथनों का समर्थन किया तथा विधिनुसार आदेष पारित किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रष्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु खसरा नंबर 70/5 की बजाय खसरा नंबर 70/10 में सें निकटतम रास्ता प्रतीत होत होता है। उभय पक्ष द्वारा अदालत हाजा के समक्ष इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि रेस्पोडेंट्स द्वारा अपने आवागमन हेतु खसरा नंबर 70/10 में से रास्ता प्राप्त कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन रास्ते की रेस्पोडेंट्स को कोई आवष्यकता नहीं है। लिहाजा अपीलाधीन आदेष खारिज योग्य पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2022 केसाराम व अन्य बनाम चुनाराम के कायम मुकाम इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 22 अगस्त 2022 खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार तिंवरी को निर्देषित किया जाता है कि वह रेस्पोडेंट्स की ओर से जमा करवायी गई प्रतिकर राषि का पुनः रेस्पोडेंट्स को भुगतान करावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर